

20/3/24

अपील नं. 10/3/24  
का उद्देश्य से  
आवेदन -  
10/3/24

अपील नं. 10/3/24 / अपील नं. 10/3/24  
अधिकाता श्री एमिड कार्यालय /  
प्रमुख / अपील नं. 10/3/24 /  
प्रत्यक्ष अधिकाता आं फा 151  
एल के (के) पत्रावली का अपलोड  
के मा. मूल अपील पूर्ववर्ती आभार  
द्वारा अपने कार्यालय दिनांक 15/10/2017  
के द्वारा प्रत्यक्ष की तलबी नवी  
करवा जाने के आधार पर अपील  
की गई थी। इसके उपरान्त प्रत्यक्ष /  
अपील नं. 10/3/24 के द्वारा आं फा  
151 एल का प्रस्ताव कर  
द्वारा दिनांक 15/10/2017 को निरस्त करने  
के लिए निर्देश दिया, जो दिनांक 18/10/2017  
को स्वीकार किया गया। अतः आं फा  
स्वीकार ही जाने के अलखरूप मूल  
अपील में कार्यवाही की जाती अपेक्षित  
था, पत्रावली प्रकृत नं. 10/3/24 एल  
विविध आं फा स्वीकार होने के कारण  
जो इस क्षेत्र विचारार्थ है, जिस  
दुरुस्त किया जाना आवश्यक है  
एवं मूल अपील की रिकॉर्ड पर  
पुनः लिखा जाकर आगामी दिनांक  
की जानी है



अधीक्षक

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी किये गये

अतः आदेश दिए जाते हैं कि दस्तावेज  
प्रकरण को डा० एच. इन्दिरा से कानून  
कार्य दुर अपील के रूप में दर्ज  
रफिस्ट (किया जावे) डा. एच. इन्दिरा  
- 15 फरवरी पर अपीलार्थी अधिवक्ता  
को बुला गया अपीलार्थी अधिवक्ता  
निवेदन कि अपील प्रकरण में  
प्रत्यक्षीकरण की ओर ही पध्दते हैं  
अधिवक्ता निम्नता है ऐसी स्थिति  
में अधिवक्तागण को अपीलार्थी नौकर  
भावतः न्यायालय में उपस्थित आने  
के लिये किर जाने हेतु निवेदन  
किया अतः प्रत्यक्ष पर स्वीकार  
किया जाता है नौकर जारी हो पत्राचार  
क्रिये न्यायालय को करा है